निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **59** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार **के माह** सितम्बर 2015 से जून 2017 **के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री** अजय कुमार सचान, **सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, द्वारा दिनांक 05-07-2017 से 14-07-2017 तक** श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में **सम्पादित की गयी।**

भाग- I

1). **परिचयात्मकः इस इकाई की** विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रजंन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2015 से 14.09.2015 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). **(i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** संलग्न।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वत्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	ब्वत (–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	26.66	25.31	130.00	130.00	-	0.35
2015-16	-	-	37.88	37.54	77.77	77.77	-	0.34
2016-17	-	-	50.26	46.77	84.00	84.00	-	3.49

(ब). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
……………………………………शून्य ………………………					

iii). इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा
2. अपर सचिव खेल
3. निदेशक खेल
4. अपर निदेशक खेल
5. संयुक्त निदेशक खेल
6. उपनिदेशक खेल
7. सहायक निदेशक खेल
8. जिला क्रीडा अधिकारी
9. उप क्रीड़ा अधिकारी
10. सहायक प्रशिक्षक
11. प्रशासनिक अधिकारी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जून 2016 एवं दिसम्बर 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लघंन कर रू0 14.05 लाख की सामग्री की अधिप्राप्ति।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम संख्या 3 (1) के अनुसार समस्त अधिप्राप्तियों प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाये। ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। नियम संख्या 3 (2) के अनुसार जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाये, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जायेंगी। इसी प्रकार नियम संख्या 3 (10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिये यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जायेगा। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिये आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर अधिकारी की संस्वकीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिये छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा।

कार्यालय, जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार के टेण्डर/कोटेशन पत्रावली एवं अधिप्राप्ति सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह सितम्बर 2015 से मार्च 2016 तक रू0 975191/– मूल्य की क्रीड़ा सामग्री, बिना निविदा/कोटेशन के क्रय की गई। (विवरण संलग्नक–1 के अनुसार) इसी प्रकार माह अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक आयोजित की मई विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था के लिये दरी, गद्दे, रजाई इत्यादि के लिये रू0 430000/– की धनराशि व्यय की गई। इस अधिप्राप्ति हेतु भी किसकी निविदा/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। (विवरण संलग्नक–2 के अनुसार)।

जांच में यह भी पाया गया कि उक्त दोनों अधिप्राप्तियों में नियम सं. 3 (10) का उल्लघंन कर देयकों को छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया गया/जिससे उच्चतर अधिकारी की संस्वीकृति लेने से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने स्वीकार किया उपरोक्त अधिप्राप्तियों हेतु निविदा/कोटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनीय गई और न ही उच्चाधिकारियों से विशिष्ट छूट हेतु स्वीकृति ली गई। इकाई ने उत्तर में कहा कि प्रशिक्षण एवं खिलाड़ियों द्वारा गुणवत्तापरक सामग्री की मांग के अनुसार उच्चाधिकारियों से मौखिक संस्तुति लेकर सामग्री क्रय की गई।

इकाई ने उत्तर से स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लघुंन कर इकाई द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति की गई।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्लघंन कर रू0 14.05 लाख की सामग्री अधिप्राप्ति का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार

क्र.सं.	फर्म का नाम	बिल सं. एवं दिनांक	भुगतानित धनराशि
01	मै. मां मन्सा वैरायटीज ज्वालापुर, हरिद्वार	997 दिनांक 28.08.15	24730
02	मै. गन्धर्व स्टेशनरी स्पोर्ट्स सेंटर, नेहरू ग्राम, देहरादून	014 दिनांक 10.09.15	45360
03	मै. गर्न्धव स्टेशनरी स्पोर्ट्स सेन्टर नेहरू ग्राम, देहरादून	016 दिनांक 11.09.15	30272
04	मै, गन्धर्व स्टेशनरी स्पोर्ट्स सेन्टर नेहरू ग्राम, देहरादून	017 दिनांक 12.09.15	38651
05	मै, जी.एम.एस. बिष्ट एण्ड कम्पनी ऋषिकेश	1203 दिनांक 21.09.15	7046
06	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला ऋषिकेश	95 दिनांक 23.09.15	49854
07	मै, गर्ग इण्टर प्राइजेज भूपत वाला हरिद्वार	145 दिनांक 01.10.15	12600
08	मै, शिवा स्पोर्ट्स एण्ड जनरल एसोसिएट, देहरादून	295 दिनांक 08.10.15	6195
09	मै, नेशनल स्पोर्ट्स एण्ड साईटिफिक, हरिद्वार	858 दिनांक 20.10.15	11288
10	मै, नेशनल स्पोर्ट्स एण्ड साईटिफिक, हरिद्वार	860 दिनांक 22.10.15	20475
11	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला ऋषिकेश	96 दिनांक 30.10.15	13398
12	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला ऋषिकेश	087 दिनांक 07.11.15	13398
13	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला ऋषिकेश	101 दिनांक 09.11.15	49896
14	मै. स्टील ज्वालापुर, हरिद्वार	542 दिनांक 10.11.15	49940
15	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला ऋषिकेश	100 दिनांक 14.11.15	49413
16	मै वर्ल्ड सेफ ऋषिकेश	42 दिनांक 08.12.15	49940
17	मै, मा मन्सा वैरायटीज ज्वालापुर हरिद्वार	1032 दिनांक 20.12.15	49980
18	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला, ऋषिकेश	103 दिनांक 03.01.16	49413
19	मै, ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स, गुमानीवाला, ऋषिकेश	104 दिनांक 05.01.16	49413
20	मै, सिद्धवली इण्टर प्राईजेज शिवालिक नगर, हरिद्वार	13515 दिनांक 05.01.16	49350
21	मै. सिद्धवली इण्टर प्राइजेज शिवालिक नगर, हरिद्वार।	1321 दिनांक 17.01.16	20428
22	मै. चद्रभागा स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स छिदर वाला ऋषिकेश, देहरादून	001दिनांक 30.01.16	47040
23	चन्द्रभागा स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स छिदरवाला ऋषिकेश, देहरादून	002 दिनांक 01.02.16	49413
24	चन्द्रभागा स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स छिदरवाला ऋषिकेश, देहरादून	006 दिनांक 02.02.16	49980
25	मै, सिद्धवली इण्टर प्राईजेज शिवालिक नगर, हरिद्वार	1340 दिनांक 27.02.16	20475
26	मै. नेशनल स्पोर्ट्स एण्ड साईटिफिक, हरिद्वार	893 दिनांक 03.03.16	30996
27	चन्द्रभागा स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स छिदरवाला ऋषिकेश, देहरादून	005 दिनांक 03.03.16	49413

28	मै, चन्द्रभागा स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स छिदरवाला ऋषिकेश, देहरादून	007 दिनांक 16.03.16	36834
		योग	**975191**

संलग्नक–2

जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार

क्रमांक	बिल सं. एवं दिनांक	धनराशि	प्रयोग की अवधि
01	184 दिनांक 10.10.15	19500	07.10.15 से 09.10.15
02	185 दिनांक 18.10.15	20800	14.10.15 से 17.10.15
03	186 दिनांक 08.11.15	26400	06.11.15 से 07.11.15
04	187 दिनांक 24.11.15	45500	17.11.15 से 23.11.15
05	188 दिनांक 02.12.15	29120	24.11.15 से 01.12.15
06	189 दिनांक 26.12.15	39280	20.12.15 से 26.12.15
07	190 दिनांक 04.01.15	38720	27.12.15 से 03.01.16
08	191 दिनांक 18.01.16	47980	11.01.16 से 25.01.16
09	192 दिनांक 26.01.16	30020	18.01.16 से 25.01.16
10	195 दिनांक 26.01.16	49680	22.01.16 से 25.01.16
11	196 दिनांक 28.01.16	5900	22.01.16 से 25.01.16
12	199 दिनांक 10.03.16	30020	03.03.16 से 10.03.16
13	201 दिनांक 18.03.16	47980	11.03.16 से 17.03.16
	योग	**430900**	

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : भत्तों की धनराशि रू0 6.18 लाख का अनियमित भुगतान।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 944/VI-2/2011–21 (6)/2011 दिनांक 16 दिसम्बर 2011 द्वारा प्रदेश में आयोजित होने वाले विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में विभिन्न मदों में व्यय की जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गयी। उक्तानुसार प्रति खिलाड़ी/प्रशिक्षण/ऑफिसियल/निर्णायक, प्रतिदिन भोजन भत्ता रू0 150/– आनुसांगिक व्यय रू0 100/– एवं आने–जाने का किराया वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य दिया गया।

कार्यालय की प्रतियोगिता/प्रशिक्षण शिविरों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि दिनांक 02.10.15 से 17.03.16 के बीच उक्त आयोजनों पर रू0 618084/– की धनराशि व्यय की गई (संलग्नक–1) जांच में पाया गया कि प्रतिभागियों को नकद भुगतान कर उनसे प्राप्ति रसीद अथवा बिना प्राप्ति रसीद के हस्ताक्षर करवाये गये एवं रोकड़बही में भी उक्त व्यय को प्रतिभागियों के नाम पर दर्शाया गया। जबकि व्यय वाउचर्स के अनुसार प्रतिभागियों को भुगतान तृतीय पक्ष अर्थात् किसी अन्य द्वारा किया गया जो कि कार्यालय अथवा उत्तराखण्ड सरकार से किसी तरह से सम्बद्ध नहीं है। तत्पश्चात् कुल भुगतानित धनराशि को कोषागार से तृतीय पक्ष के बैंक खाते में भुगतान किया गया। उक्त भुगतान शिविरों के समापन क 04 से 85 दिन बाद तक किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि शिविर में प्रतिभागियों को तत्काल भुगतान करना पड़ता है। कार्यालय में अग्रिम की व्यवस्था न होने के कारण सम्बन्धित फर्मों एवं व्यक्तियों से विशेष अनुरोध कर भुगतान कराया गया।

लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रतिभागियों को भत्तों का भुगतान सीधे कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए था न कि गैर सरकारी व्यक्ति अथवा कार्यालय/फर्म के द्वारा/जिससे भुगतान की सत्यता सत्यापित की जा सके।

अतः कार्यालय द्वारा प्रतिभागियों को दिये जाने वाले भत्तों के रू0 6.18 लाख की धनराशि के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार

क्रमांक	बिल सं.	प्रतियोगिता/प्रशिक्षण शिविर की अवधि	भुगतान की धनराशि	भुगतान की तिथि	किसको भुगतान किया गया
01	120	02.10.15 गांधी जयन्ती	29920.00	27.11.15	श्री सुनील पाण्डेय
02	130	17.11.15 से 01.12.16	58500.00	18.12.15	मैसर्स ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स
03	131	17.11.15 से 01.12.15	58500.00	18.12.15	श्री सुनील पाण्डेय
04	144	20.12.16 से 03.01.16	59100.00	07.01.16	श्री सुनील पाण्डेय
05	155	20.12.16 से 03.01.16	59500.00	16.01.16	मैसर्स ध्यानी स्टेशनरी एण्ड स्पोर्ट्स
06	163	11.01.16 से 25.01.16	11700.00	29.01.16	श्री सुनील पाण्डेय
07	188	05.02.16 से 19.02.16	117000.00	16.03.16	श्री दुर्गा शरण पाण्डेय
08	206	03.03.16 से 17.03.16	118564.00	28.03.16	श्री दुर्गा शरण पाण्डेय
		योग	**618084.00**		

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
2015-16	शून्य	शून्य
2013-14	शून्य	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

.... शून्य ....

भाग-V
आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री कृष्ण कुमार	जिला क्रीड़ा अधिकारी	02.09.15 से 13.05.16
श्री एस.के. डोभाल	जिला क्रीड़ा अधिकारी	14.05.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला क्रीड़ा अधिकारी को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून–248195 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
सामाजिक क्षेत्र